

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी : प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 324 / 2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा : 88 / 53 आर.टी.ए.



1. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. बलजीत सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जगसीर सिंह पुत्र श्री गुरलाल सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री महावीर बेरड़ – अधिवक्ता वादी
2. श्री कुलदीप मूण्ड – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

निर्णय

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस न्यायालय में पेश किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 आपस में एक ही परिवार के संयुक्त सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 15 ए.एम.पी. के खाता सं. 81/102 जमाबंदी सं. 2072-75 में वादी के नाम से 0.210 है। कृषि भूमि व इसी चक 15 ए.एम.पी. के खाता सं. 77/18 ज.सं. 2072-75 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 2.783 है। कृषि भूमि तथा इसी चक 15 ए.एम.पी. के खाता सं. 82/28 ज.सं. 2072-75 में वादी के नाम से 0.253 है। संयुक्त खाते में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनाम व बंटवारा कर लिया गया है।

उक्त बंटवारा में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार है:-

क. वादी बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह के कब्जा काश्त की कृषि भूमि:-

चक 15 ए.एम.पी. खाता सं. 77/18 जमाबंदी सं. 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

136/131 31 13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.

16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.

17,18,24 / 0.253 है.प्र., 25 / 1 / 0.228 है., 25 / 2 / 0.025 है.

कुल 2.024 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

ख. प्रतिवादी सं. 1 बलजीत सिंह के कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 15 ए.एम.पी. खाता सं. 81 / 102 ज.सं. 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
136 / 161	31	7 / 2 / 0.210 है

कुल 0.210 है. कृषि भूमि



चक 15 ए.एम.पी. खाता सं. 77 / 18 जमाबंदी सं. 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
136 / 162	36	5 / 1 / 0.202 है., 5 / 2 / 0.026 है., 5 / 3 / 0.025 है.

6 / 1 / 0.228 है., 6 / 2 / 0.025 है.

कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

ग. प्रतिवादी सं 2 जगसीर सिंह के कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 15 ए.एम.पी. खाता सं. 77 / 18 जमाबंदी सं. 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
136 / 161	31	9 / 0.253 है.

कुल 0.253 है. कृषि भूमि


चक 15 ए.एम.पी. खाता सं. 82 / 28 जमाबंदी सं. 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
136 / 161	31	8 / 0.253 है.

कुल 0.253 है. कृषि भूमि

। प्रश्नगत आराजी का वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने घरेलु बंटवारा कर लिया है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा हो चुका है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा पेश किया गया राजीनामा मूल ही संलग्न है।

मुताबिक राजीनामा वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। जिनकी वंशावली निम्न प्रकार से वर्णित है।



क्रियात्मक आदेश

पत्रावली पर गौर किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा आपस में राजीनाम कर लिया गया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को मद संख्या क,ख,ग के मुताबिक बंटवारा स्वीकार किया जाता है। रहन मुक्त होने पर ही फैसले का अमल दरामद किया जाए।

आदेश मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 07.12.2023 को जारी किया गया। अलग से डिक्री जारी करने की जरूरत नहीं है। आदेश को ही डिक्री समझा जाएगा।



(प्रभजोत सिंह गिल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया